18/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप तहसील एवं थानासोट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नकल सुनी गई इसमें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट व स्थलीय एवं वकील प्रार्थी की बहस पर गौर व मनन किया, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम कुटारा तहसील थानासोट, जिला, डूंगरपुर के खसरा नं. 465/11-03 में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नुमाइन्दा होने पर बीराम उर्फ भीमा को विलोपित कर मूल खातेदार रामदेव पुत्र भीमा की जगह अंकित किया जाता है।

प्रस्तुत आदेश की तहसीलदार थानासोट को तहसील भरी हो।

उपखण्ड अधिकारी
थानासोट